[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 62/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 01 जुलाई, 2017

सा.का.नि...........(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 318/1976-सीमा शुल्क, तारीख 02 अगस्त, 1976, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्या 687(अ), तारीख 02 अगस्त, 1976 में प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है ।

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार